



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1916]

नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 21, 2009/कार्तिक 30, 1931

No.1916]

NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 21, 2009/KARTIKA 30, 1931

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 2009

का.आ. 2964(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 20 के अधीन उसमें निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन अधिसूचना सं. 2495(अ) तारीख 30 सितम्बर, 2009 द्वारा गठित झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण को ऐसी शर्तों के अधीन कि उपर्युक्त अधिनियम के अधीन इसके कृत्यों के संबंध में किसी रिपोर्ट, विवरणी सांख्यिकी, लेखे और अन्य जानकारी देने की अपेक्षा ऐसा प्राधिकरण किसी व्यक्ति या अधिकारी या अन्य प्राधिकरण से अपेक्षा करेगा।

[फा. सं. ए-12011/7/2009-एन.आर.सी.डी.-II]

राजीव गौबा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st November, 2009

S.O. 2964(E).—In exercise of the powers conferred by section 23 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby delegates the power vested in it under section 20 of the said Act to the West Bengal State Ganga River Conservation Authority constituted by it vide notification number S.O. 2494 (E), dated the

30th September, 2009 subject to the condition that the Authority shall require any person or officer or other authority to furnish to such Authority any reports, returns, statistics, accounts and other information in relation to its functions under the aforesaid Act.

[F. No. A-12011/7/2009-NRCD-II]

RAJIV GAUBA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 2009

का.आ. 2965(अ).— केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 20 के अधीन उसमें निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन अधिसूचना सं. 2494 (अ) तारीख 30 सितम्बर, 2009 द्वारा गठित पश्चिमी बंगाल राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण को ऐसी शर्तों के अधीन कि उपर्युक्त अधिनियम के अधीन इसके कृत्यों के संबंध में किसी रिपोर्ट, विवरणी सांख्यिकी, लेखे और अन्य जानकारी देने की अपेक्षा ऐसा प्राधिकरण किसी व्यक्ति या अधिकारी या अन्य प्राधिकरण से अपेक्षा करेगा।

[फा. सं. ए-12011/7/2009-एन.आर.सी.डी.-II]

राजीव गौबा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st November, 2009

S.O. 2965(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby authorises the West Bengal State Ganga River Conservation Authority constituted by it vide notification number S.O. 2494 (E), dated the 30th September, 2009 or any authority or officer authorised by such Authority for the purpose of filing complaint for taking cognizance of any offence under the said Act.

[F. No. A-12011/7/2009-NRCD-II]

RAJIV GAUBA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 2009

का.आ. 2966(अ).— केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 20 के अधीन उसमें निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन अधिसूचना सं. 2493 (अ) तारीख 30 सितम्बर, 2009 द्वारा गठित उत्तर प्रदेश राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण को

ऐसी शर्तों के अधीन कि उपर्युक्त अधिनियम के अधीन इसके कृत्यों के संबंध में किसी रिपोर्ट, विवरणी सांख्यिकी, लेखे और अन्य जानकारी देने की अपेक्षा ऐसा प्राधिकरण किसी व्यक्ति या अधिकारी या अन्य प्राधिकरण से अपेक्षा करेगा।

[फा. सं. ए-12011/7/2009-एन.आर.सी.डी.-II]

राजीव गौबा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st November, 2009

S.O. 2966(E).—In exercise of the powers conferred by section 23 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby delegates the power vested in it under section 20 of the said Act to the Jharkhand State Ganga River Conservation Authority constituted by it vide notification number S.O. 2495 (E), dated the 30th September, 2009 subject to the condition that the Authority shall require any person or officer or other authority to furnish to such Authority any reports, returns, statistics, accounts and other information in relation to its functions under the aforesaid Act.

[F. No. A-12011/7/2009-NRCD-II]

RAJIV GAUBA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 2009

का.आ. 2967(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के अधीन किसी अपराध के संज्ञान लेने के लिए परिवाद फाइल करने के प्रयोजन के लिए अधिसूचना सं. 2495(अ) तारीख 30 सितम्बर, 2009 द्वारा गठित झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण या किसी प्राधिकरण या ऐसे प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को प्राधिकृत करती है।

[फा. सं. ए-12011/7/2009-एन.आर.सी.डी.-II]

राजीव गौबा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st November, 2009

S.O. 2967(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby authorises the Jharkhand State Ganga River Conservation Authority constituted by it vide notification

number S.O. 2495 (E), dated the 30th September, 2009 or any authority or officer authorised by such Authority for the purpose of filing complaint for taking cognizance of any offence under the said Act.

[F. No. A-12011/7/2009-NRCD-II]
RAJIV GAUBA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 2009

का.आ. 2968(अ).—केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के अधीन किसी अपराध के संज्ञान लेने के लिए परिवाद फाइल करने के प्रयोजन के लिए अधिसूचना सं. 2493 (अ) तारीख 30 सितम्बर, 2009 द्वारा गठित उत्तर प्रदेश राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण या किसी प्राधिकरण या ऐसे प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को प्राधिकृत करती है।

[फा. सं. ए-12011/7/2009-एन.आर.सी.डी.-II]
राजीव गौबा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st November, 2009

S.O. 2968(E).—In exercise of the powers conferred by section 23 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby delegates the power vested in it under section 20 of the said Act to the Uttar Pradesh State Ganga River Conservation Authority constituted by it vide notification number S.O. 2493 (E), dated the 30th September, 2009 subject to the condition that the Authority shall require any person or officer or other authority to furnish to such Authority any reports, returns, statistics, accounts and other information in relation to its functions under the aforesaid Act.

[F. No. A-12011/7/2009-NRCD-II]
RAJIV GAUBA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 2009

का.आ. 2969(अ).—केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के अधीन किसी अपराध के संज्ञान लेने के लिए परिवाद फाइल करने के प्रयोजन के लिए अधिसूचना सं. 2494 (अ) तारीख 30 सितम्बर, 2009 द्वारा गठित

पश्चिमी बंगाल राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण या किसी प्राधिकरण या ऐसे प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को प्राधिकृत करती है।

[फा. सं. ए-12011/7/2009-एन.आर.सी.डी.-II]

राजीव गौबा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st November, 2009

S.O. 2969(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby authorises the Uttar Pradesh State Ganga River Conservation Authority constituted by it vide notification number S.O. 2493 (E), dated the 30th September, 2009 or any authority or officer authorised by such Authority for the purpose of filing complaint for taking cognizance of any offence under the said Act.

[F. No. A-12011/7/2009-NRCD-II]

RAJIV GAUBA, Jt. Secy.

4230 GI/09-2